मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 25, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79-ए की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की अधिसूचना क्रमांक 01-05/एक/7, दिनांक 4 जनवरी, 1991 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 6 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, राजनांदगांव की बंगाल नागपुर काटन मिल के प्रदूषित जल से बीमारी फैलने की ओर राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री धीरेन्द्र सिंह "धीरू", उदयप्रकाश मिश्र, विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य रीवा जिले के सिरमौर स्थित टोन्स जल विद्युत परियोजना की ईकाई चालू न हो पाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले की मधुमिलन सिन्थेटिक्स कारखाने के श्रमिकों के साथ प्रबंधकों द्वारा दमनात्मक कार्यवाही किये जाने की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, डा. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य भिण्ड के मुख्य बाजार में डकैती की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अनुप सिंह मरावी, सभापति, याचिका समिति का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मोतीलाल वोरा, सभापति, लोक लेखा समिति का 141 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री गोपाल भार्गव, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, जिला दुर्ग विकास खण्ड साजा में 30 बिस्तर वाले अस्पताल का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(2) श्री रमाकान्त तिवारी, सदस्य -

- (क) जिला रीवा तहसील त्योंथर के ग्राम चिल्ला की पवलिघु सिंचाई योजना का कार्य प्रारम्भ कराये जाने,
- (ख) जिला रीवा तहसील त्योंथर के ग्राम भनिगंवा खरपटा के बीच महाना नदी पर रपटा निर्माण किये जाने,

(3) श्री अशोक शुक्ला, सदस्य-

- (क) इन्दौर नगर के कनाड़िया रोड से पिपल्याहाने को जोड़ने वाला एप्रोच रोड का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) इन्दौर के वन्दना नगर एक्सटेंशन के नागरिकों को भीषण जल संकट से राहत दिलाये जाने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य-

- (क) भोपाल के ग्राम हथाईखेड़ा में हाईस्कूल खोले जाने,
- (ख) भोपाल टाकीज से बड़वाई तक (व्हाया करोंद) राज्य परिवहन निगम की बसें चलाये जाने,

(5) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य-

- (क) जिला छतरपुर ग्राम दरगुवा में स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने,
- (ख) जिला छतरपुर के ग्राम सूरजपुरा में करोंदी नाला का बांध निर्माण कराये जाने,
- (ग) जिला छतरपुर ग्राम पंचायत सिगरामपुरा के नाले की पुलिया निर्माण कराये जाने,

(6) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य-

(क) जिला भिण्ड के ग्राम दवोह में नहर का पानी न आने के संबंध में,
(ख) जिला भिण्ड परगना मिहोना के ग्राम परयिच एवं धौर के बीच में पड़ने वाले नाले में पुलिया निर्माण कराये जाने,
(ग) जिला भिण्ड तहसील लहार के ग्राम शाहपुरा नं. 2 के खराब हेण्डपम्प को दुरुस्त कर चालू किये जाने,
(घ) जिला भिण्ड के परगना लहार के ग्राम जमुहा, चिरौली, साहपुरा, जैतपुरा, हरपुरा, सेमरा, डूंडा, बरहा में सिंचाई हेतु बनाई गई माइनर नाली की मरम्मत कराये जाने,

(7) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य-

(क) जिला दुर्ग ग्राम दर्रीटोला के सांस्कृतिक भवन को जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा करने,
(ख) जिला दुर्ग विकास खण्ड गुरूर के ग्राम ओझा गहन के लिये पहुंच मार्ग बनवाये जाने,
(ग) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम बघमरा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,
(घ) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम सांकरा में नया तालाब निर्माण राहत कार्य के अन्तर्गत कराया गया था जिसे पूरा करने,
(च) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम बघमरा में शासकीय नलकूप खनन कराये जाने,
(छ) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम बघमरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ज) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद में उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने,
(झ) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम सांकरा में खरन्जा निर्माण का कार्य पूर्ण किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 29 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

प्रदेश में तेन्दूपत्ता तुड़ाई, संग्रहण, गोदामों में भंडारण में हुई अनियमितताओं से शासन को हुई क्षति के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

8. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

30 मि. (शेष 15 मि.) (1) प्रदेश में सड़कों की जर्जर दशा, नियमानुसार रखरखाव न होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होने तथा प्रदेश का विकास अवरुद्ध होने के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

30 मि. (2) निजी उत्पादकों को विद्युत उत्पादन की अनुमति दिये जाने से मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तथा राज्य के हितों को हानि पहुंचाने के संबंध में श्री धीरेन्द्र सिंह "धीरू", सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल
दिनांक 15 दिसम्बर, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा